फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :—**श्री कालु** विपक्षी :—**श्रीमती भंवरीबाई**

किस्म मुकदमा :— 53 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :— 83/20

जीसीएमएस नम्बर :—2020/00182

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.05.2026 पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1, 2, 4, 6 द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1, 2, 4, 6 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया साथ ही अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादी संख्या 3, 5, 7 की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादी संख्या 1, 2, 4, 6 को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी संख्या 1, 2, 4, 6 की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। वादी संख्या 3, 5, 7 की ओर से अधिवक्ता वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1, 2, 4, 6 अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	